Date – 1 July 2022

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 47वीं बैठक

- हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 47वीं बैठक में, अधिकारियों ने संरचना दर को सरल बनाने के लिए कई उपभोग वस्तुओं की छूट को समाप्त करके कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए दरों को कम करने का निर्णय लिया।

जीएसटी परिषद:

- 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद माल और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई।
- इसके बाद 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने अपने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टि की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी।
- जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
- इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार स्थापित किया गया था।

सदस्य:

- परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
- प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

काम:

- अनुच्छेद 279 के अनुसार परिषद, "जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन या छूट दी जा सकती है"।
- यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय करता है।
- उदाहरण के लिए, मंत्रियों के एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया है।

हाल की घटनाएं:

- मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह पहली बैठक है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
- न्यायालय ने पाया कि संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को जीएसटी पर "एक साथ" कानून बनाने का अधिकार देता है और परिषद की सिफारिशें "संघ और राज्यों को शामिल बातचीत का परिणाम" हैं।
- केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इसका स्वागत किया, जो मानते हैं कि राज्य अपने अनुकूल सिफारिशों को स्वीकार करने में अधिक लचीले हो सकते हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी):

- जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
- यह देश में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
- इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था।
- उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है।
- जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के बोझ को कम करता है जो अंतिम उपभोक्ता को दिया जाता है।

जीएसटी के तहत कर संरचना:

- उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी।
- वैट, विलासिता कर आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी।
- अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)।
- IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ करों के समन्वय के लिए एक कर प्रणाली है।
- स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए इसमें 5%, 12%, 18% और 28% की 4-स्तरीय कर संरचना है।

जीएसटी लागू करने के कारण:

- दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण आदि जैसे मुद्दों को कम करना और एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार बनाना।

- जीएसटी जो एक व्यापारी माल या सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान करता है (अर्थात इनपुट पर) माल और सेवाओं की अंतिम आपूर्ति पर बाद में लागू करने के लिए सेट या सेट किया जा सकता है।
- सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
- इस प्रकार जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है क्योंकि इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।

जीएसटी का महत्व:

- **एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण:** यह भारत के लिए एक एकीकृत आम राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद करेगा। यह विदेशी निवेश और "मेक इन इंडिया" अभियान को भी बढ़ावा देगा।
- **कराधान को सुव्यवस्थित करना:** केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कानूनों, प्रक्रियाओं और कर दरों का सामंजस्य होगा।
- **कर अनुपालन में वृद्धि:** बेहतर अनुपालन वातावरण बनाया जाएगा क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे, इनपुट क्रेडिट ऑनलाइन सत्यापित किए जाएंगे, आपूर्ति श्रृंखला के हर स्तर पर कागज रहित लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **कर चोरी को हतोत्साहित करना:** समान एसजीएसटी और आईजीएसटी दरें पड़ोसी राज्यों के बीच और अंतर-राज्यीय बिक्री के बीच दर मध्यस्थता को समाप्त करके चोरी के लिए प्रोत्साहन को कम करेंगी।
- **निश्चितता लाना:** करदाताओं के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रक्रियाएं, करों की वापसी, कर रिटर्न का एक समान प्रारूप, सामान्य कर आधार, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली कराधान प्रणाली को और अधिक निश्चितता प्रदान करेगी।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** आईटी के अधिक उपयोग से करदाता और कर प्रशासन के बीच मानवीय संपर्क कम होगा, जो भ्रष्टाचार को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
- **द्वितीयक क्षेत्र को बढ़ावा देना:** यह निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक रोजगार पैदा करेगा और इस प्रकार लाभकारी रोजगार के साथ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा जिससे वास्तविक आर्थिक विकास होगा।

स्वदीप कुमार

हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका: चीन

- हाल ही में पहला "चीन-हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन" आयोजित किया गया था।
- यह पहली बार है कि चीन का लक्ष्य "सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना" है।
- इथियोपिया में आयोजित सम्मेलन में निम्नलिखित हॉर्न देशों के विदेश मंत्रालयों की भागीदारी देखी गई- केन्या, जिबूती, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, दक्षिण सूडान और युगांडा।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका:

- हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है।
- अफ्रीकी मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में स्थित, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है।
- यह लाल सागर की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और गार्डाफुई चैनल, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है।
- अफ्रीका का हॉर्न भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से समान दूरी पर है।
- हॉर्न में इथियोपिया के पठार, ओगाडेन रेगिस्तान, इरिट्रिया के ऊंचे इलाकों और सोमालियाई तट के जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं।
- हॉर्न ऑफ अफ्रीका उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया के देश शामिल हैं।
- इस क्षेत्र ने साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, जातीय संघर्ष, अंतर-अफ्रीकी संघर्ष, गरीबी, बीमारी, अकाल आदि का अनुभव किया है।

चीन में हाल की परियोजनाएं:

- जनवरी 2022 में, चीन ने अफ्रीका में अपने तीन उद्देश्यों पर जोर दिया, जिसमें महामारी को नियंत्रित करना, चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) के परिणामों को लागू करना और आधिपत्य की राजनीति से लड़ते हुए सामान्य हितों को बनाए रखना शामिल है।

- हॉर्न के पूरे क्षेत्र ने 2021 फोरम में भाग लिया, जिसने **चार प्रस्तावों को अपनाया:**

डकार कार्य योजना:

- दोनों पक्ष चीन और अफ्रीका के बीच संबंधों के विकास की सराहना करते हैं, यह मानते हुए कि फोरम ने अपनी स्थापना के बाद से पिछले 21 वर्षों में चीन और अफ्रीका के बीच संबंधों के विकास को दृढ़ता से बढ़ावा दिया है, और अफ्रीका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

चीन-अफ्रीका सहयोग विजन 2035:

- इसे मध्यम और दीर्घकालिक सहयोग के दिशा-निर्देशों और उद्देश्यों को निर्धारित करने और साझा भविष्य के लिए चीन और अफ्रीका के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था।

जलवायु परिवर्तन पर चीन-अफ्रीकी घोषणा:

- इसका उद्देश्य जलवायु पर बहुपक्षीय प्रक्रिया में समन्वय और सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ चीन, अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों के वैध अधिकारों और हितों की संयुक्त रूप से रक्षा करना है।

FOCAC के आठवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की घोषणा:

- "चीन-अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करना और नए युग में एक साझा भविष्य के साथ एक चीन-अफ्रीका समुदाय के निर्माण के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना" विषय के साथ-साथ FOCAC के विकास और चीन-अफ्रीका व्यापक रणनीतिक और सहकारी भागीदारी प्रतिबद्धता के तहत मजबूत करने के लिए दोनों ने सर्वसम्मति से FOCAC के आठवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की डकार घोषणा को अपनाया।
- FOCAC हॉर्न के ढांचागत और सामाजिक विकास में चीन की भूमिका को बढ़ावा देता है।
- COVID-19 महामारी के दौरान, चीन ने इथियोपिया और युगांडा को 300,000 से अधिक और केन्या और सोमालिया को 200,000 से अधिक टीके दान किए। चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी से सूडान और इरिट्रिया को भी फायदा हुआ है।

इस क्षेत्र में चीन के प्राथमिक हित:

आधारभूत संरचना:

- अफ्रीकी संघ मुख्यालय को अदीस अबाबा में एक ऐतिहासिक चीनी परियोजना द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पूरी तरह से वित्तपोषित किया गया था।
- चीन ने केन्या में मोम्बासा-नैरोबी रेल लिंक में भी निवेश किया है, इसके अलावा सूडान में पहले से ही रेलवे परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
- इथियोपिया में इसका एक व्यवहार्य सैन्य हार्डवेयर बाजार भी है और इसने सोमालिया में अस्पतालों, सड़कों, स्कूलों और स्टेडियमों सहित 80 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण किया है।
- जिबूती में 14 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को चीन द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

वित्तीय सहायता:

- इथियोपिया चीनी निवेश के शीर्ष पांच अफ्रीकी प्राप्तकर्ताओं में से एक है और उस पर लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज है।
- केन्या के द्विपक्षीय ऋण का 67 प्रतिशत चीन का है।
- 2022 में चीन ने इरिट्रिया को 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का वादा किया।

प्राकृतिक संसाधन (तेल और कोयला):

- चीन इथियोपिया में सोना, लौह-अयस्क, कीमती पत्थरों, रसायनों, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों में भी रुचि रखता है।
- बीजिंग (चीन) ने 1995 में प्रवेश करने के बाद से दक्षिण सूडान के पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करना जारी रखा है।

समुद्री हित:

- चीन की मुख्य भूमि के बाहर पहला और एकमात्र सैन्य अड्डा जिबूती में है।
- 2022 में, चीन ने इरिट्रिया तट को विकसित करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया, जो भूमि से घिरे इथियोपिया को चीनी निवेश से जोड़ेगा।
- अमेरिका का अनुमान है कि चीन केन्या और तंजानिया में एक और सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, जिससे इस क्षेत्र में उसकी सैन्य उपस्थिति बढ़ेगी।

भारत के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका का महत्व:

अफ्रीका में बढ़ रही दिलचस्पी :

- अफ्रीका में भारत की दिलचस्पी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से बढ़ रही है, खासकर उप-क्षेत्र – हॉर्न ऑफ अफ्रीका।

तेल उत्पादक क्षेत्र से निकटता:

- अफ्रीका का हॉर्न रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य पूर्व के तेल उत्पादक क्षेत्र के करीब है।
- मध्य पूर्व में उत्पादित तेल का लगभग 40% लाल सागर की शिपिंग लेन से होकर गुजरता है।

शिपिंग मार्ग:

- जिबूती इस शिपिंग मार्ग का मुख्य बिंदु है। यही कारण है कि जिबूती में अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देशों के सैन्य अड्डे हैं।
- भारत के आर्थिक विकास के संचार की नई समुद्री लाइनों पर निर्भर होने के साथ, दिल्ली ने घोषणा की कि उसके राष्ट्रीय हित अब उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि "अदेन से मलक्का तक" विस्तारित हैं।

चीन की मौजूदगी पर भारत की चिंता:

हिंद महासागर में प्रभुत्व:

- हिंद महासागर के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित जिबूती, चीन के "मोतियों के तार" में से एक बन सकता है और बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारत के सैन्य गठबंधनों और संपत्तियों के लिए खतरा बन सकता है।
- चीन ने हिंद महासागर में गतिविधियों को तेज कर दिया है, जिसे भारत हाल के दिनों में अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है, समुद्री डकैती विरोधी गश्त और नेविगेशन की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए। इसने भारतीय नौसेना को सामरिक जल की निगरानी कड़ी करने के लिए मजबूर कर दिया है।

महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों को नियंत्रित करने की चीन की इच्छा:

- हिंद महासागर की शिपिंग लेन में दुनिया का 80% तेल और एक तिहाई वैश्विक बल्क कार्गो है। चीन एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग के साथ अपनी ऊर्जा और व्यापार परिवहन लिंक को सुरक्षित करना चाहता है।

हिंद महासागर के देशों को प्रभावित करना:

- हिंद महासागर उन देशों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक मामलों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चीन बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे जैसी परियोजनाओं में निवेश करके हिंद महासागर के देशों में सद्भावना और प्रभाव पैदा करना चाहता है।
- चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है और श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है।

ओबीओआर के माध्यम से विस्तार:

- नई सिल्क रोड बनाने की चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट, वन रोड (ओबीओआर) पहल में हिंद महासागर का प्रमुख स्थान है।
- भारत ने OBOR से दूरी बना ली है।

YOJNA IAS

स्वदीप कुमार